

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
पत्रांक 3209/ 14-1 बिजनौर, दिनांक, मार्च 28, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :- मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा ग्राम अजीमुल्ला नगर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के गाठा संख्या 449 (भाग) में अफजलगढ़-कालागढ़ मार्ग पर पेट्रोल/डीजल पम्प लगाने प्रभावित वन भूमि 0.0591 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- **Online submission file no. FP/UP/OTHER/15249/2015 date**
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा ग्राम अजीमुल्ला नगर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के गाठा संख्या 449 (भाग) में अफजलगढ़-कालागढ़ मार्ग पर पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु प्रभावित वन भूमि 0.0591 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति माँगी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत 0.0591 हे0 संरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की हार्ड कापी चार प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।
संलग्नक-हार्ड कापी की चार प्रतियाँ।

भवदीय

(सलिल कुमार शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नगीना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड डिवीजनल आफिस द्वारा ख्वाजा फिलिंग स्टेशन आई0ओ0सी0 पेट्रोल पम्प देहली रोड एन0एच0 24 पाकबाड़ा मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(सलिल कुमार शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।